सं.एस-18011/24/2015-एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
चौथा तल, पं. दीनदयाल 'अंत्योदय भवन'
सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 08.11.2017

सेवा में,

एसीएस/मुख्य सचिव/सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य और संघ क्षेत्र

विषय:- एस बी एम (जी) में भ्रष्टाचार पर मिली हालिया मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश देने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

हाल ही में प्राप्त मीडिया रिपोर्टों ने एसबीएम जी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमियों को उजागर किया है। रिपोर्ट दर्शाती हैं कि गांवों में बनवाए गए शौचालय पूरी तरह नहीं बने हैं और बहुत ही खराब गुणवत्ता के हैं जिसके चलते लोगों द्वारा इनका उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे उदाहरण उन गांवों में भी मिले हैं जिन्हें खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। यह कार्यक्रम स्तर पर एक गंभीर चूक है और गलत और झूठी रिपोर्टिंग करने के समतुल्य ही है। इसके अलावा यह अन्यथा अत्यधिक सफल कार्यक्रम की छवी और उसके नाम को भी धूमिल करता है।

2. आप जानते ही है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समुदायिक चालित प्रक्रियाओं और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है जिससे शौचालयों का निर्माण और उपयोग होता है। इस प्रकार से इस बात पर पुन: बल दिया जाता है कि राज्य और जिलों द्वारा समुदायों को अपने स्वयं के दम पर शौचालयों का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया जाए तथा उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाए। ग्राम पंचायतों और जिलों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उनकी समुदाय को स्वच्छता स्थिति में सुधार करने और ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर चलें। निगरानी समितियों/ समुदाय द्वारा पुष्ट किए जाने के बाद कि अब कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता, इसे एक अच्छी आदत के रूप में गांव वालों को खुद ही ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने तथा ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने की घोषणा करनी चाहिए।

3. एसबीएम (जी) दिशा निर्देश, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों को छूट देते हैं, हालांकि, बनाए जा रहे शौचालयों की गुणवत्ता और उनके नियमित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक देखभाल और सावधानी बरती जानी चाहिए। कार्यक्रम के जन स्वास्थ्य लाभों को लोग तभी समझ पाएंगे जब शौचालयों का निर्माण होगा और उसे नियमित आधार पर उपयोग में लाया जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शौचालयों की गुणवत्ता बनाई रखी जाए, निम्नांकित पर पुन: बल दिया गया है जिसे सुनिश्चित किया जाए:-

क. लाभार्थियों को कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी में अवश्य शामिल किया जाए।

ख. कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों द्वारा निर्मित किए जा रहे शौचालयों की गुणवत्ता की समसामयिक मॉनीटरिंग के लिए कार्य प्रणालियां होनी चाहिए।

ग. एमआईएस पर ओडीएफ स्थिति की घोषणा गांव के ओडीएफ दावे पर तार्किक जांचों के बाद ही जिले द्वारा की जाएगी।

घ. ओडीएफ घोषणा के 3 माह के भीतर ओडीएफ घोषित गांवों का सत्यापन होना चाहिए।

ड. ओडीएफ बनने के ग्राम पंचायतों के दावों के सत्यापन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच/प्रधान को, जिला स्तर पर डीएम/सीईओ/सीडीओ को जवाबदेह बनाया जाए।

च. गलत रिपोर्ट देने वाले और ऐसे लोग जिनकी लापरवाही से गांवों में शौचालयों का अधूरा निर्माण होता है और असुरक्षित शौचालय बनाए जाते है, के खिलाफ कड़ी कार्रवाही होनी चाहिए।

उम्मीद है कि सभी उपरोक्त बिंदुओं का ध्यान रखेंगे और आपके राज्य में एसबीएम जी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुझायी गई कार्यप्रणाली को अपनांएगे।

भवदीय,

(अरूण बरोका)
संयुक्त सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 011-24362192

प्रति:- मिशन निदेशक/राज्य-समन्वयक, एसबीएम (जी), सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र।